



सूचना

सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एंड कम्युनिटी जस्टिस (CCLECJ) के अधीन संचालित विधिक सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic) एवं मध्यस्थता क्लिनिक (Mediation Clinic) निम्नानुसार कार्य करेंगे—

1. विधिक सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic)

विधिक सहायता क्लिनिक द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाएँगी—

- निःशुल्क विधिक परामर्श एवं कानूनी सलाह।
- विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता संबंधी मार्गदर्शन।
- संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उपलब्ध विधिक उपायों की जानकारी।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष आवेदन एवं संदर्भ (Referral) संबंधी सहायता।
- उपयुक्त मामलों में मध्यस्थता, सुलह तथा अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन।
- महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, श्रमिकों, उपभोक्ताओं तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों से संबंधित विधिक अधिकारों एवं कल्याणकारी कानूनों के संबंध में सहायता एवं परामर्श।

2. मध्यस्थता क्लिनिक (Mediation Clinic)

मध्यस्थता क्लिनिक उपर्युक्त कार्य दिवस एवं समयानुसार प्री-लिटिगेशन (Pre-litigation) तथा सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) को प्रोत्साहित करेगा तथा उपयुक्त मामलों में विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण हेतु वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के माध्यम से मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा।

कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

समय: सायं 4:00 बजे से 6:00 बजे

माध्यम: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं टेलीफोन

कार्य दिवस: प्रत्येक शनिवार एवं रविवार

समय: प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे

माध्यम: (भौतिक रूप से)

स्थान:

कक्ष संख्या-47, शैक्षणिक भवन

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत

(केन्द्र को स्थायी कार्यालय आवंटित होने तक।)



DR. B.R. AMBEDKAR NATIONAL LAW UNIVERSITY, SONEPAT
(Established by the Haryana State Legislature Act No. 15 of 2012)

संपर्क हेतु

क्लिनिक की सेवाओं, कार्य समय अथवा अन्य जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है —

डॉ. मुकेश कुमार
निदेशक

सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एंड कम्युनिटी जस्टिस (CCLEJ)
मोबाइल: +91-9041531646

श्री गणेश गुप्ता
कार्यालय लिपिक (Office Clerk)
मोबाइल: +91-8591250003

सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं, विश्वविद्यालय परिवार एवं आमजन से अनुरोध है कि वे क्लिनिक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएँ।

प्रो. (डॉ.) आशुतोष मिश्रा
रजिस्ट्रार

पृष्ठांकन सं.: DBRANLU/RO/2026/3247-3248 दिनांक: 09.07.2026.

उपरोक्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:—

1. सभी डीन/विभागाध्यक्ष/प्रभारी/मुख्य वार्डन/शाखा प्रमुख, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत।
2. विशेष कार्याधिकारी (OSD) एवं कुलपति के निजी सचिव (माननीय कुलपति महोदय की कृपया सूचनार्थ), डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत।

कुलसचिव के निजी सहायक
कुलसचिव की ओर से